



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इकरारनामा- मुआयदाबय

38AA 902793

मुआयदाबय	90,00,000/- रुपये
बयाना	2,00,000/- रुपये
शेष रकम	88,00,000/- रुपये
स्टाम्प	100/- रुपये

Kiran



हम कि श्रीमती किरन अग्रवाल पत्नी स्व० श्री प्रताप चन्द्र अग्रवाल निवासी बी-155, जिगर कालोनी शहर व जिला मुरादाबाद फरीक अब्बल विक्रेता एवं श्रीमती मिर्जा जीनत पत्नी सितवत हुसैन निवासी मुगलपुरा प्रथम निकट सर याकूब रोड, शहर व जिला मुरादाबाद (वर्तमान पता-जे-34, जज कम्पाउण्ड आगरा उ०प्र० फरीक दायम क्रेता है।

Kiran Agarwal



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

38AA 902794

जो कि एक किता मकान नं-बी-155 रकबई 169.20 वर्ग मीटर स्थित जिगर विहार, शहर व जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष बजरिये पट्टा विलेख तारीख तकमिल 03.07.1993 ई० जिसकी रजिस्ट्री बही नं-01 खण्ड 228 पृष्ठ 211 ता 264 क्रम सं०-3814 पर दिनांक 08.07.1993 को हुई है तथा फ्रीहोल्ड डीड (Freehold Deed) जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुरादाबाद में बही सं०-1 जिल्द सं०-5644 के पृष्ठ सं०-49 से 60 क्रमांक 599 दिनांक 01.02.2008 ई० को हुई है के द्वारा मालिक, काबिज व दखील चली आती हैं जिसका विक्रय करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। जिसका सौदा पाक साफ हालत में निम्नलिखित शर्तों पर होना तय पाया है। जिसके पाबंद कानूनी रूप में हरदो फरीकेन खुद व उसके वारिसान रहेंगे।

1. यह कि उपरोक्त मकान हर हालत में पाक साफ बय होना तय पाया गया है।

Kiran Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

38AA 902795

2. यह कि उपरोक्त मकान का इकरारनामा बकीमत 90,00,000/- रुपये में तय करके मुवलिंग 2,00,000/- रुपये द्वारा चैक सं0-268911 भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0-30803748605 गवाहान की मौजूदगी में फरीक अब्बल ने उपरोक्त मकान की बावत फरीक दायम से वसूल पाये और बकिया 88,00,000/- रुपये बरवक्त बयनामा वसूल पायेगें।
3. यह कि उपरोक्त मकान की बावत बयनामा कराने के लिए फरीक अब्बल ने तीन माह का समय यानि 31 मार्च 2021 तक का समय तय किया है। फरीक दायम मियाद के अन्दर बयनामा अपने हक में करा ले फरीक अब्बल को कोई ऐतराज नहीं होगा।

Rizwan Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

38AA 902796


4. यह कि उपरोक्त मकान पर कब्जा व दखल वरबक्त रजिस्ट्री दिया जायेगा।
 5. यह कि उपरोक्त मकान की बावत समस्त सरकारी व विधिक देनदारियां व कोई मुकदमात पेश आता है तो उसके जिम्मेदार व पाबन्द फरीक अब्बल विक्रेता व वारिसान विक्रेता रहेंगे।
 6. यह कि उपरोक्त मकान से सम्बन्धित समस्त प्रकार की देनदारी जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल आदि की सारी जिम्मेदारी फरीक अब्बल विक्रेता की होगी।
 7. यह कि उपरोक्त मकान का बयनामा फरीक अब्बल बिना किसी कानूनी नुकश के फरीक दायम के हक में नहीं करता है तो फरीक दायम को अधिकार होगा कि कानूनी रूप से बजरिये अदालत मजाज अपने हक में बयनामा रजिस्ट्री करा लेगा। ऐसी दर सूरत में जुमला हर्जा खर्चा बजिम्मे फरीक अब्बल होगा।
- लिहाजा यह इकरारनामा मुआयदाबय हरदो फरीकेन की रजामंदी से लिख दिया ताकि सनद हो और वक्त पर काम आवे। इति।

Kiran Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs. 20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 902797

(5)

चतुर्थ सीमायें-

पूरब - भवन सं०-बी-154

पश्चिम - सड़क नौ मीटर चौड़ी

उत्तर - सड़क 7.50 मीटर चौड़ी

दक्षिण - भवन सं०-बी-156

ह० विक्रेता

Kiran Agarwal

सा०

Neetu
B-155, Jyoti W. 7

ह० क्रेता

[Signature]
31.12.2020

सा०

[Signature]
(Kapil Agarwal)
B-100, Ashyura Colony
more details

इकरारनामा मुआयदाबय याददाशत हाजा बमुकाम मुरादाबाद तारीख 31.12.2020

ई० बइकरार फरीकेन बमशवरे कचहरी में टाईप किया।